कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/डीपीसी–16–17/पदस्थापन/2016 दिनांक 16.07.2016 द्वारा नीलकमल जोशी व0अ0 राउमावि मंगलपुरा, पोकरण–जैसलमेर से पदौन्नति पर पदस्थापन राउमावि रामदेवरा– जैसलमेर में काउंसलिग से किया गया था।

नीलकमल जोशी के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/डीपीसी–16–17/पदस्थापन/2016 दिनांक 16.07.2016 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका दायर की गई। जिसमे याची ने गुहार की कि मेरी काउंसलिग के समय पोकरण में रिक्त पद नही दर्शाया गया था । जबकी 29.08.16 से 31.08.2016 के मध्य आयोजित की गई काउंसलिग में राउमावि पोकरण, जैलमेर में रिक्त पद उपलब्ध था । अतः याची को पोकरण में पदस्थापन नही मिला और याची को राउमावि रामदेवरा, जैसलमेर का विकल्प देना पडा । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने एस.बी. याचिका सख्या 16157/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 द्वारा याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण का निर्देश दिया। याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदंन प्रस्तुत किया गया।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में स्पष्ट है कि याचीकार्थी द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान स्वैच्छा से पदस्थापन लिया है। यह आवश्यक नही है कि सभी उपलब्ध रिक्त पदो को काउंसलिग में शामिल किया जाये । काउंसलिग के लिए रिक्त पदो का निर्धारण विभागीय आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है । याची द्वारा राउमावि रामदेवरा, जैसलमेर में कार्यग्रहण कर लिया गया है और दिनांक 18.07.2016 से उक्त विद्यालय में कार्यरत है ।

याची नीलकमल जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबधित सूचित हो ।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/नीलकमल/2017 दिनांक– 13-2-19

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/स्थानान्तरण/हिन्दी/2018 दिनांक 18.06.2018 द्वारा श्री रामावतार शर्मा, व्या0 हिन्दी राउमावि देवली–उनियारा, टोंक का स्थानान्तरण राउमावि सालगरामपुरा, जयपुर किया गया था । श्री रामावतार शर्मा तत्समय प्रोबेशन काल में होने के कारण आदेश में अंकित शर्त के अनुसार संस्था प्रधान द्वारा श्री शर्मा को उक्त स्थानांतरण पर कार्यमुक्त नहीं किया गया। इसके विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या संख्या 14090/2018 दायर की गई । माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.07.18 को निर्णय पारित करते हुए याचिकार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये ।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रस्तुत याचिकार्थी के अभ्यावेदन के कम में विभागीय स्थिति एवं नियमों का परीक्षण करने पर पाया गया कि श्री शर्मा का स्थानांतरण सहवन से हुआ है, अतः यह कार्मिक का अधिकार नहीं बनता । स्थानांतरण राज्य का अधिकार है एवं कोई भी कार्मिक स्थानांतरण को अधिकार के रूप में नहीं ले सकता है ।

अतः श्री रामावतार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/रामावतार शर्मा/याचिका सं. 14090/18 दिनांक– 14-2-19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर